

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य), जिला-खरगोन म.प्र.

(कार्यालय टेलीफोन नंबर-07282-232885 / E-mail ID : foodoffkhr@mp.nic.in)

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 6785 से संबंधित जानकारी
"अ" / /

// परिशिष्ट - 'अ'

क.	शिकायत का विवरण	शिकायत की प्राप्ति दिनांक	शिकायत पर की गई कार्यवाही	निर्मित प्रकरण का विवरण
1.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री अन्यत्र बेचने के लिये ले जाने बाबद।	09/07/2014	राशन सामग्री व वाहन जप्त कर प्रकरण निर्मित किया गया।	राशन सामग्री तथा वाहन जप्त कर रुपये 25000/- जुर्माना लगाया गया तथा जप्त चावल शासन पक्ष में राजसात किया गया।
2.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल ले जाने संबंधी।	02/09/2014	राशन सामग्री जप्त कर प्रकरण निर्मित किया गया।	सार्वजनिक वितरण प्रणाली का चावल तथा वाहन जप्त किया जाकर प्रकरण निर्मित किया गया।
3.	ग्राम देवला के ग्रामीणों द्वारा 22 कट्टे में 11 क्विंटल गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली का होने के शक में पुलिस चौकी बिस्तान लाया गया।	19/09/2014	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खरगोन द्वारा बिस्तान जाकर 11 क्विंटल गेहूँ जप्त किया गया।	आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत शा.उ. दुकान देवला के विक्रेता तथा गल्ला व्यापारी ग्राम देवला के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया।
4.	ग्राम मोगरगांव में दुकान नियमित न खुलने तथा राशन प्रदाय न करने एवं केशरीन कम मात्रा में प्रदाय करने संबंधी।	20/03/2015	शा. उ. मू. दुकान देवला की जांच की जाकर प्रकरण निर्मित किया गया।	शा.उ.मू. दुकान मोगरगांव के विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया जिसमें अनुविभागीय अधिकारी, (रा०) द्वारा रुपये 57621.64 शासन पक्ष में जमा करवाये जाकर रुपये 500/- की प्रतिभूति राजसात की गई।
5.	सेगावां में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूँ की अफरा-तफरी बाबद।	09/05/2015	गेहूँ व चावल जप्त किया गया।	संबंधित परिवहनकर्ता एवं म.प्र.स्टेट सिविल सप्लायज कारपोरेशन के क्षेत्रीय प्रमारी के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई।

(Signature)
आजुभावन अधिकारी
आयुक्त, शासन,
राज्य, बिलासपुर, आपूर्ति एवं
उपभोक्ता संरक्षण विभाग

जिला आपूर्ति अधिकारी, खरगोन